न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 64 / 2017

RCMS No. 2017/00279

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
1 दौलतदास वैष्णव पुत्र ओगडदास जाति वैष्णव निवासी बगडी नगर तहसील सोजत जिला पाली		1. ग्राम पंचायत बगडी नगर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बगडी नगर 2. सुरेश दवे, अध्यक्ष श्रीमाली ब्राहम्ण समाज, बगडी नगर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी

श्री पी0एम0 जोशी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20/4/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, बगडी नगर द्वारा मिसल संख्या 06 / 2010–2011, संकल्प संख्या 7 दिनांक 05.01.2013 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 93 दिनांक 22.01.2013 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि सार्वजनिक चौक की भूमि है, जिसका विधि विरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा 200 / – जमा कर जैर निगरानी आज्ञा के जरिये भूमि के नियमितिकरण की कार्यवाही की गई, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 इस परिभाषा में नहीं आता है। नियमितिकरण रहवासीय मकान का किया जाता है, जिस स्थान पर पट्टा जारी किया गया है, वह रिहायसी मकान नहीं है, भूखण्ड है। खाली भूखण्ड का नियमितिकरण पंचायत एक्ट के नियम के अनुसार नहीं किया जा सकता है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा निरस्त योग्य है। पट्टा श्रीमाली समाज के अध्यक्ष के पक्ष में जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है, क्योंकि श्रीमाली ब्राहम्ण समाज एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, इस कारण अध्यक्ष विधिक व्यक्ति भी नहीं है, जिसके पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा 6615 वर्गफुट भूमि का पट्टा जारी किया गया है, ग्राम पंचायत को इतने बडे क्षेत्रफल का नियम

अति० जिला कलक्टर, पाली

157 के तहत पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं है तथा इस नाप का पट्टा जारी करने की पुष्टि सक्षम अधिकारी से करवाया जाना आवश्यक है, जो नहीं करवाई गई। प्रार्थी के रहवासी मकान के उत्तर की तरफ जैर निगरानी वादस्थ भूमि है, जिस पर यदि जैर निगरानी पट्टे की आड में निर्माण किया जाता है, तो प्रार्थी के मकान का दरवाजा बन्द हो जायेगा एवं प्रार्थी के हक हकूक प्रभावित होंगे। जैर निगरानी वादस्थ भूमि सार्वजनिक चौक की भूमि है, जिसका पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 (1) में इच्छुक व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान है, श्रीमाली समाज व्यक्ति की परिभाषा में नहीं आता है। जैर निगरानी आज्ञा जारी करने में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायती राज नियमों में विहित आज्ञापक प्रावधानों की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई तथा नियमों को अनदेखा करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रथमतः तो प्रार्थी उक्त निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि प्रार्थी जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे से किसी भी रूप में हितबद्ध नहीं है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि अप्रार्थी संख्या 2 की कब्जासुदा भूमि है, जो स्टेट टाईम से अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे में है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर पंचायत द्वारा सचिव से नक्शा तैयार करवाया जाकर तीन वार्ड पंचो की कमेटी मनोनीत कर मौका निरीक्षण के आदेश पारित किए। नियुक्त पंचों द्वारा मौके पर जाकर भूमि का भौतिक रूप से निरीक्षण किया गया, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 का हक माना है। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह के आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। आपत्ति इश्तिहार मौके पर चस्पा किया गया है, इस दौरान किसी ने आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। नियत समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। प्रार्थी उक्त भूमि को सार्वजनिक होने की बात करते है, जो किसी अन्य व्यक्ति ने तो कोई आपत्ति ही नहीं की, मात्र प्रार्थी ही इससे व्यथित कैसे हुआ ? प्रार्थी का कथन है कि उक्त पट्टे से प्रार्थी के मकान का दरवाजा अवरूद्ध हो जायेगा, जो निहायत झूठ तथ्य है, क्योंकि जैर निगरानी पट्टे में दर्शित नक्शे अनुसार पश्चिम दिशा में, जो प्रार्थी के मकान की पूर्व दिशा है, में 15 फुट रास्ता दर्शित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टे से प्रार्थी के मकान का किसी भी रूप से दरवाजा अथवा रास्ता अवरूद्ध नहीं होगा। इसके अतिरिक्त प्रार्थी अपनी भूमि के पूर्व में सार्वजनिक चौक होना बताते है, यह तथ्य स्वयं प्रार्थी के पट्टे से मिलान नहीं करते है, क्योंकि प्रार्थी के पट्टे में सार्वजनिक चौक का उल्लेख ही नहीं है। प्रार्थी के पट्टे में पूर्व दिशा में आम रास्ता एवं दरवाजा अंकित है। इसके अतिरिक्त पंचायत अधिनियम अपने आप में एक कोड है, दूसरे एक्ट इस पर लागू नहीं होते है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा सिविल वाद भी प्रस्तुत किया, जो खारिज हो चुका है तथा एक अन्य

अति० जिला कलक्टर, पाली

सिविल वाद विचाराधीन है, हक अधिकार बाबत समस्त तथ्य सिविल न्यायालय में तय होंगे। एक ही विशिष्ठ बिन्दु पर पृथक पृथक न्यायालयों में प्रकरण नहीं चल सकते है। जैर निगरानी वादस्थ भूमि ब्राहम्ण समाज की भूमि है, जिस पर पिछले 300 वर्षो से पूर्व का कब्जा है तथा इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में श्रीमाली समाज के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, बगडी नगर द्वारा मिसल संख्या 06/2010–2011, संकल्प संख्या 7 दिनांक 05.01.2013 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 93 दिनांक 22.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर यह स्थिति प्रकट होती है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अध्यक्ष श्रीमाली ब्राहम्ण समाज बगडी नगर के तौर पर जैर निगरानी वादस्थ भूमि का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की जाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसके पश्चात मिसल दिनांक 05.11.2012 को पेश होने पर पंचायत की बैठक कार्यवाही के प्रस्ताव संख्या 4 की पालना में तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया तथा सचिव को नक्शा तैयार कर प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। मनोनीत पंचों द्वारा जो रिपोर्ट पंचायत कोरम के समक्ष प्रस्तुत की, उसमें प्रार्थी का हक बदस्तूर माना है। उक्त रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत होने पर नियत 147 के तहत विक्रय विलेख देने का अस्थाई निर्णय लिया जाकर नियम 148 के तहत आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण पंचायत के कोरम की बैठक दिनांक 05.12.2012 को प्रस्ताव संख्या 5 के तहत दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किये गए। इसके पश्चात कोरम की बैठक दिनांक 05.01.2013 के प्रस्ताव संख्या 7 की पालना में नियम 157 (ख) के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की निगरानी का मुख्य आधार यह रहा है कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि सार्वजनिक चौक की भूमि है, जिस पर निर्माण होने की स्थिति में प्रार्थी के मकान का दरवाजा अवरूद्ध होगा तथा प्रार्थी एवं उसके परिवार के मकान में आवागमन दुभर हो जायेगा। इस तथ्य को प्रार्थी के पट्टे से मिलान करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के मकान का मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा की ओर दर्शित है, जिसमें आम रास्ता अंकित किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टे की पश्चिमी दिशा में आम रास्ता दर्ज है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी आज्ञा जारी होने से प्रार्थी का आवागमन किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा। जहां तक प्रक्रियागत त्रुटीयों का प्रश्न है, तो जैर निगरानी मिसल में किसी प्रकार की प्रक्रियागत त्रुटी नहीं है, जिसके कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत पाया जाता है।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत, बगडी नगर द्वारा मिसल संख्या 06/2010–2011, संकल्प संख्या 7 दिनांक 05.01.2013 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 93 दिनांक 22.01.2013 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/04/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली